


फर्द अहकाम

य उपखण्ड अधिकारी चाकपुर
 गुलाब चन्द बनाम लीतारान
 संख्या / वर्ष : 242 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/10/24	<p>पन्नावली पेश हुई। वही पत्रकारान उपन अग्रगण्य को सम्मन पारिए जाऊ ले मन्त्र एक माह ले अधिक क समय हो चुका है। सम्मन अदर तारीख भेजकर प्राप्त नहीं। अतः तारीख सम्मन मानी जाती है। सम्मन तारीख के उपरान्त अग्रणी ल. 2 का पदापीर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी जाती है। अतः जवाब 31. फर अग्रणी ल. 1 का अर्द किया जाता है। अतः उभयपक्षों की सुनने व पन्नावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि पन्नावली आपस में सहभागीदार हैं व विवाहित हैं। अतः वार की बहुलता को रोकने व विषय-वस्तु को ध्यान रखने के लिए 31. फर के पत्र ल. 2 में उल्लेखित अतः पर उभयपक्षों को तारीख समाप्त</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 चाकपुर, मिथपुरा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>मौजों की यथास्थिति बनाव रखने हेतु पाषाण क्रिया लाता है।</p> <p>पत्रावली के लाल शुभार क्षेत्र ५५ नम्बर (१००० ए०)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>